न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/29/2014

उनवान

1. मांगू आत्मज सेवा कुमावत निवासी परासोली तहसल आसीन्द जिला भीलवाडा मृतक के बजाय :–
   1/1 पोखर पुत्र मांगू कुमावत निवासी परासोली
   1/2 लादू पुत्र मांगू कुमावत निवासी परासोली
   1/3 नानू पुत्र मांगू कुमावत निवासी परासोली
   1/4 श्रीमती सोहनी पुत्री मांगू कुमावत निवासी परासोली
   1/5 श्रीमती प्रेमी पुत्री मांगू कुमावत निवासी परासोली
   1/6 श्रीमती जस्सु बेवा मांगू कुमावत निवासी परासोली
   तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. उगमा पुत्र बालु कुमावत निवासी परसोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
3. नानू पुत्र बालू कुमावत निवासी परासोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
4. सोहन पुत्र बालु कुमावत निवासी परासोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. नानू पुत्र बालू कुमावत निवासी परासोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. लादू पुत्र बालू कुमावत निवासी परासोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
3. सुखा आत्मज बालू कुमावत निवासी परासोली ,
4. मांगी पुत्री बालू कुमावत निवासी परासोली
5. श्रीमती नानी बेवा बालू कुमावत निवासी परासोली

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

6. बद्री लाल आत्मज माधु कुमावत निवासी परसोली
7. बंशी लाल पुत्र माधु कुमावत निवासी परासोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण/वादीगण

8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आसीन्द जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के प्रकरण संख्या 222/2009 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.5.2012

अधिवक्तागण :–

1. श्री योगेश चौधरी, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री राकेश जैन, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण
3. श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

दिनांक 4.1.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 7/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, एवं 92 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पडासोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा स्थित साबिक आराजी नम्बर 839/2 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि बालू, मादू, पिता घीसा कुमावत निवासी पडासोली के नाम पर संवत 2025 से 2028 की जमाबंदी में खातेदारी हक से दर्ज थी। खातेदार बालू, मादू पिता घीसा जी कुमावत का देहान्त हो गया है, जिनके वारिसान वादीगण है। साबिक नक्शा ट्रेश में आराजी नम्बर 839 का बटा नम्बर दर्ज नहीं है और नक्शा ट्रेश में केवल मूल

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आराजी नम्बर 839 ही अंकित की हुई है। साबिक आराजी नम्बर 839/2 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि में से 4 बिस्वा तत्कालीन खातेदार बालू, मादू पिता घीसा कुमावत ने दिनांक 15.1.1988 को 2100/– रूपये अक्षरे दो हजार एक सौ रूपये में नन्दा पिता धन्ना जी कुमावत को रास्ते व बाडे के लिए विक्रय कर दी थी जिसका बिकाव नामा 10/–रू0 के स्टाम्प पर लिखा हुआ है।

2. भू प्रबन्ध होने पर साबिक आराजी नम्बर 839/2 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा के नवीन आराजी नम्बर 1451 रकबा 0.04 हे0, आराजी नम्बर 1442 रकबा 0.18 हे0, आराजी नम्बर 1443 रकबा 0.19 हेक्टेयर कुल किता 3 रकबा 0.41 हेक्टेयर कायम किये गये। इनमें से हाल आराजी संख्या 1442 रकबा 0.18 हे0 वादी संख्या 6 व 7 के नाम पर एवं आराजी संख्या 1443 रकबा 0.19 हे0 वादी संख्या 1 से 5 के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज की गई है जबकि आराजी नम्बर 1451रकबा 0.04 हे0 प्रतिवादी संख्या 1 मांगू पिता सेवा कमावत के नाम पर 1/2 , एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 उगमा, नानू, सोहन पिता बालू कुमावत निवासी पडासोली के नाम पर 1/2 हिस्से से बिना किसी अधिकार व आधार के दर्ज कर दी गई। जबकि साबिक आराजी 839/2 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कभी भी प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज नहीं रही थी। साबिक आराजी नम्बर 839/2 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा का नवीन बन्दोबस्त में रकबा 0.41 हेक्टेयर बनता है जिनमे से आराजी नम्बर 1442, व 1443 किता 2 रकबा 0.37 हे0 भूमि ही वादीगण के नाम पर दर्ज की गई है। शेष 0.04 हे0 भमि हाल आराजी नम्बर 1451 के रूप में है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम पर भू प्रबन्ध विभाग द्वारा भूल एवं गलती से दर्ज कर दी गई है। इसहाल आराजी नम्बर 1451 रकबा 0.04 हे पर वादीगण का ही कब्जाकाश्त एवं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आधिपत्य चला आ रहा है। हाल आराजी नम्बर 1451 रकबा 0.04 हेक्टर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम पर हाल रेकार्ड में दर्ज होने से वे वादीगण को बेदखल कर सकते हैं और खुर्द बुर्द, विक्रय करने पर आमादा है। इसलिए यदि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी को किसी अन्य को विक्रय,हस्तान्तरित नहीं करें एवं वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें एवं न ही किसी अन्य से करावे तथा वादग्रस्त आराजी जो कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम पर दर्ज रेकार्ड है का नाम हटाया जाकर पुनः वादीगण को खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण के अधिवक्ता को उनके अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया कि रेवेन्यू मामला है जो काफी लम्बा चलेगा व जब भी मामले में अपीलार्थीगण की जरूरत पडेगी सूचित करके बुला लिया जायेगा। लेकिन उनके अधिवक्ता ने अपीलार्थीगण को कोई सूचना नहीं दी । दिनांक 20.11.2013 को प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थीगण के कब्जेकाश्त में दखलंदाजी पैदा की व अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो भी उनके अधिवक्ता ने संतोषप्रद जवाब नहीं दिया । इस पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रति हेतु आवेदन

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किया । नकल प्राप्त होते ही अपीलार्थीगण ने अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों के विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि हाल आराजी नम्बर 1451 रकबा 0.04 हे0 जो कि अपीलार्थीगण के नाम पर दर्ज है क्योंकि संवत 1984 के सेटलमेण्ट के अनुसार साबिक आराजी नम्बर 839 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा था, जिसमें रेस्पोडेण्ट के दादा हुकमा जी का 1/2 हिस्सा था तथा साबिक आराजी नम्बर 842 संवत 1984 की जमाबंदी के अनुसार जिसमे घीसा पिता जोधा जो कि रेस्पोडेण्ट्स के दादा नहीं थे उक्त आराजियात में हिस्सा नहीं था, लेकिन बाद वक्त सेटलमेण्ट संवत 1984 में बंटवाडा हुआ तथा 04 बिस्वा जमीन साबिक आराजी नम्बर 842 में से वादीगण के पिता को दी तथा उक्त आराजियात के नये नम्बर 842/2 बने जो 04 बिस्वा जमीन उन्हें अतिरिक्त दी गई, इसलिए उक्त वादीगण को पुराने सेटलमेण्ट के आधार पर अधिक दे दी गई। जिस पर वह वर्तमान में मौके पर काबिज है तथा हाल सेटलमेण्ट के दौरान 1451 नम्बर के जो नये नम्बर मूर्तिब किये गये वह जमीन अपीलार्थीगण के हिस्से में ही रही थी। , अपीलार्थीगण ही संवत 1984 से ही बंटवाडा होने के बाद से उनके पूर्वज तथा अपीलार्थीगण बहैसियत मालिक काबिज चले आ रहे हैं तथा अपीलार्थीगण ने आराजी नम्बर 1451 पर करीब 17–18 वर्ष पूर्व 1 सिंचाई के लिए ट्यूबवेज का निर्माण कराया तथा उक्त आराजियात के पडौस उत्तर में सरकारी पडत जमीन, दक्षिण में मांगू पिता सेवा तथा उगमा नानू, सोहन पिता बालू का खेत, पूर्व में नन्दा पिता धन्ना का खेत, पश्चिम में आबादी भूमि है जिसके मध्य

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण ने एक ट्यूबवेल तथा एक पानी संग्रह के लिए 20 बाई 20 बाई 15 फीट का एक विशाल पानी संग्रहण हेतु होज का निर्माण कर रखा है जिसका अपीलार्थीगण बहैसियत मालिक उपयोग उपभोग कर रहे हैं। रेस्पोडेण्ट्स का आराजी नम्बर 1451 पर कोई हक हिस्सा व कब्जा न होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर गौर किये बगैर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक सेटलमेण्ट 1984 के आधार पर वर्तमान में मौके पर कब्जे के आधार पर तथा साबिक सेटलमेण्ट 1984 के हिस्से अनुसार बराबर बराबर रकबा रखते हुए जो रकबा रेकार्ड में आराजी नम्बर 1451 के रूप में अपीलार्थीगण के नाम अंकित किया है वह बिल्कुल सही अंकन किया है तथा आराजी नम्बर 1451 को अपीलार्थीगण ने कभी नहीं बेची है। प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर वाद पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन बिन्दुओं गौर किये बगैर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि भू प्रबन्ध संवत 1984 के अनुसार प्रत्यर्थीगण के पिता को आराजी नम्बर 842 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा में से 4 बिस्वा जमीन कुए सहित दी जिसका हाल भू प्रबन्ध संवत 2025–2028 में 842/2 रकबा 04 बिस्वा अलग से रेस्पोडेण्ट्स के पिता बालू व माधु के नाम पर दर्ज हुआ । इस प्रकार गत भू प्रबन्ध से रेस्पोडेण्ट्स के पिता के नाम पर 4 बिस्वा भूमि अधिक दर्ज की गई तथा उक्त तथ्य को छिपाकर एवं अपीलार्थीगण की हिस्से व कब्जेसुदा आराजियात हाल आराजी नम्बर 1451 को जबरन लेने की

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गरज से झूठा वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो आधारहीन था उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने में भारी भूल की है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने पक्षकार का असंयोजन कर सीता पुत्री माधु कुमावत को आवश्यक पक्षकार होते हुए भी बिना पक्षकार बनाये वाद पत्र पेश किया हे जो पोषणीय नहीं होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री कर दिया गया है।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण द्वारा जवाब दावा एवं काउण्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वे प्रकरण में तनकियात कायम कर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तनकीवाईज निर्णय पारित करते। अधीनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

11. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि पडासोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा स्थित साबिक आराजी नम्बर 839/2 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि बालू, मादू, पिता घीसा कुमावत निवासी पडासोली के नाम पर संवत 2025 से 2028 की जमाबंदी में खातेदारी हक से दर्ज थी। खातेदार बालू, मादू पिता घीसा जी कुमावत का देहान्त हो गया है, जिनके वारिसान वादीगण है। साबिक नक्शा ट्रेश में आराजी नम्बर 839 का बटा नम्बर दर्ज नहीं है और नक्शा ट्रेश में केवल मूल आराजी नम्बर 839 ही अंकित की हुई है। साबिक आराजी नम्बर 839/2 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि तत्कालीन खातेदार बालू, मादू पिता घीसा कुमावत ने दिनांक 15.1.1988 को 2100/– रूपये अक्षरे दो हजार एक सौ रूपये में नन्दा पिता धन्ना जी कुमावत को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रास्ते व बाडे के लिए विक्रय कर दी थी जिसका बिकाव नामा 10/—रू0 के स्टाम्प पर लिखा हुआ है।

12. भू प्रबन्ध होने पर साबिक आराजी नम्बर 839/2 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा के नवीन आराजी नम्बर 1451 रकबा 0.04 हे0, आराजी नम्बर 1442 रकबा 0.18 हे0, आराजी नम्बर 1443 रकबा 0.19 हेक्टेयर कुल किता 3 रकबा 0.41 हेक्टेयर कायम किये गये। इनमें से हाल आराजी संख्या 1442 रकबा 0.18 हे0 वादी संख्या 6 व 7 के नाम पर एवं आराजी संख्या 1443 रकबा 0.19 हे0 प्रत्यर्थी/वादी संख्या 1 से 5 के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज की गई है जबकि आराजी नम्बर 1451 रकबा 0.04 हे0 अपीलार्थी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 1 मांगू पिता सेवा कमावत के नाम पर 1/2 , एवं अपीलार्थी संख्या 2 से 4/प्रतिवादी संख्या 2 से 4 उगमा, नानू, सोहन पिता बालू कुमावत निवासी पडासोली के नाम पर 1/2 हिस्से से बिना किसी अधिकार व आधार के दर्ज कर दी गई। जबकि साबिक आराजी 839/2 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कभी भी अपीलार्थीगण/ प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज नहीं रही थी। साबिक आराजी नम्बर 839/2 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा का नवीन बन्दोबस्त में रकबा 0.41 हेक्टेयर बनता है जिनमे से आराजी नम्बर 1442, व 1443 किता 2 रकबा 0.37 हे0 भूमि ही प्रत्यर्थीगण/वादीगण के नाम पर दर्ज की गई है। शेष 0.04 हे0 भमि हाल आराजी नम्बर 1451 के रूप में है जिसे अपीलार्थी संख्या 1 से 4/प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम पर भू प्रबन्ध विभाग द्वारा भूल एवं गलती से दर्ज कर दी गई है। इस हाल आराजी नम्बर 1451 रकबा 0.04 हे पर प्रत्यर्थीगण का ही कब्जाकाश्त एवं आधिपत्य चला आ रहा था। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

13. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

14. अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण/वादीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे दिनांक 2.5.2009 को दर्ज किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । दिनांक 27.1.2011 को प्रतिवादीगण की ओर से जवाब मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया । जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलग्न है। उक्त जवाब एवं काउण्टर क्लेम की प्रति प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्राप्त की गई है । जिनके हस्ताक्षर उक्त जवाब मय काउण्टर क्लेम पर किये गये है।

15. अपीलार्थीगण का यह भी निवेदन था कि अधीनस्थ न्यायालय में सीता पुत्री माधु कुमावत को आवश्यक पक्षकार होते हुए भी उसे पक्षकार संयोजित नहीं किया गया था। जबकि वादीगण को वाद पत्र में सीता पुत्री माधु को पक्षकार संयोजित करना चाहिये था।

16. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 1.9.2011 को उभयपक्ष के अधिवक्ता की उपस्थित दर्ज करते हुए जवाब हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। प्रत्यर्थीगण/वादीगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया । उसके बाद आगामी तारीख पेशी दिनांक 2.11.2011, 21.12.2011, 1.2.2012, 28.3.2012, 28.11.2012 नियत की गइ एवं उक्त तिथियों पर न्यायालय में पीठासीन

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिकारी नहीं होने अथवा बार संघ की हडताल होने से कोई कार्यवाही नहीं हो सकी । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28.11.2012 की आदेशिका में आगामी पेशी दिनांक 23.5.2012 दी गई परन्तु उक्त दिनांक 23.5.2012 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया । पत्रावली में इस दिनांक को आदेशिका भी नहीं लिखी गई । न ही काउण्टर क्लेम बाबत कोई तथ्य अंकन/विवेचन निर्णय में किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब मय काउण्टर क्लेम का वादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत करने पर, यदि वादीगण द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया तो वाद पत्र एवं जवाब मय काउण्टर क्लेम के आधार पर तनकियाम कायम करनी चाहिये थी एवं उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज के आधार पर तनकीवाईज निर्णय पारित करना चाहिये था। चूंकि मूल वाद में पक्षकारों के हक हितों का बाद सुनवाई अंतिम तौर पर निस्तारण किया जाता है। परन्तु अपीलाधीन मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं कर बिना तनकियात कायम किये विधि से परे जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

17. अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.5.2012 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उपरोक्त ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए दावा एवं जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम के आधार पर तनकियात कायम कर उभयपक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदार करने के उपरान्त तनकीवाईज गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे। उभपक्ष

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.2.19 को उपस्थित रहें।

18. निर्णय आज दिनांक 4.1.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

4/1/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा